राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान जयपुर
"वित्त *भवन" जनपथ, जयपुर–302015*
(दूरभाष 0141–2740735, फैक्स 0141–2742309, ई मेल : jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :– एफ.4(ई)(1)(6)/प्रशिक्षण/अलेसे–III/5411 दिनांक :– 11.5.2020

समस्त कोषाधिकारी राजस्थान,
....
....

विषयः– कनिष्ठ लेखाकार सीधी भर्ती परीक्षा 2013 में चयनित/नवनियुक्त कनि0 लेखाकारों को जिला स्तर पर दो सप्ताह का आधारभूत प्रशिक्षण प्रदान करने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि कनिष्ठ लेखाकार सीधी भर्ती परीक्षा 2013 में चयनित कनि0 लेखाकारों एवं अन्य नवनियुक्त कनि0 लेखाकारों (D.G.S) को दो सप्ताह का आधारभूत प्रशिक्षण जिला स्तर पर ही प्रदान करने हेतु सम्बन्धित जिले के कोषाधिकारी को नोडल अधिकारी नामित किया गया था।

निदेशालय के उक्त आदेशों के क्रम में अधिकांश कनि0 लेखाकारों को दो सप्ताह का आधारभूत प्रशिक्षण जिला स्तर पर सम्बन्धित कोषाधिकारियों द्वारा प्रदान किया जा चुका है, किन्तु विभाग के ध्यान में आया है कि अभी भी कुछ नवनियुक्त कनि0 लेखाकारों को दो सप्ताह का आधारभूत प्रशिक्षण नहीं दिया गया है, जिसके कारण उनके स्थायीकरण/नियमित वेतनमान स्वीकृति में अनावश्यक बाधा उत्पन्न होना संभावित है।

अतः राज्य के समस्त कोषाधिकारियों को पुनः निर्देशित किया जाता है कि आपके जिले में कार्यरत जिन कनि0 लेखाकारों को आदिनांक तक दो सप्ताह का आधारभूत प्रशिक्षण जिला स्तर पर प्रदान नहीं किया गया है उनको जिला स्तर पर उक्त आधारभूत प्रशिक्षण राज्य सरकार के नियमों एवं नवीनतम दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित करते हुए उचित समय पर प्रदान किया जाकर पालना रिपोर्ट इस विभाग को विभागीय ई–मेलः jacct.dta@rajasthan.gov.in पर भिजवाने का श्रम करावें।

इस सम्बन्ध में यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त आधारभूत प्रशिक्षण कोषालय को उपलब्ध बजट मद से ही कराया जाना सुनिश्चित करावें क्योंकि इसके लिए अतिरिक्त बजट का आवंटन किया जाना संभव नहीं होगा।

इसके अतिरिक्त आप अपने जिले में कार्यरत उन कनि0 लेखाकारों की सूचना भी इस निदेशालय को विभागीय ई–मेलः jacct.dta@rajasthan.gov.in पर अतिशीघ्र भिजवाने का श्रम करावें जिन्होनें आदिनांक तक 08 सप्ताह का संस्थानिक प्रशिक्षण HCM RIPA के किसी भी प्रशिक्षण केन्द्र से प्राप्त नहीं किया है। साथ ही यह भी सुनिश्चित करावें कि आपके जिले में कोई भी कनि0 लेखाकार उपरोक्त प्रशिक्षणों से वंचित नहीं रहे।

(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

क्रमांक :– एफ.4(ई)(1)(6)/प्रशिक्षण/अलेसे–III/5411 दिनांक :– 11.5.2020

<u>प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :–</u>

1. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष को प्रेषित कर लेख है कि वे अपने कार्यालय में कार्यरत कनि0 लेखाकारों को सम्बन्धित कोषाधिकारी द्वारा भविष्य में आयोजित होने वाले प्रशिक्षण की प्राप्ति हेतु कार्यमुक्त कराने का श्रम करावें।
2. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक।
3. सम्बन्धित कनि0 लेखाकारों को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
4. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. रक्षित/निजी पत्रावली।

(शिल्पी कौशिक)
अतिरिक्त निदेशक–III